

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अलवर

पीठासीन अधिकारी – श्री प्यारे लाल सोठवाल (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या

3 / 39 / 2022

तारीख दायर

25 / 04 / 2022

तारीख निर्णय

25.05.2022

**बउनवान**

- 1-मु0 मूली देवी पत्नि स्व0 हजारी, पुत्रवधु स्व0 रामनाथ, उम्र 90 साल,
- 2-धर्म पुत्र स्व0 श्री हजारी, पौत्र स्व0 रामनाथ, उम्र करीब 62 साल,
- 3-बाबूलाल पुत्र स्व0 हजारी, पौत्र स्व0 रामनाथ, उम्र करीब 56 साल,
- 4-छोटा पुत्री स्व0 हजारी, पौत्री स्व0 रामनाथ, उम्र करीब 50 साल,
- 5-लक्ष्मी पुत्री स्व0 हजारी, पौत्री स्व0 रामनाथ, उम्र करीब 45 साल, जातियान गुर्जर, निवासीयान ग्राम श्योदानपुरा तहसील अलवर जिला अलवर (राज0)

--- प्रार्थीगण

बनाम

- 1-तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) अलवर, तहसील व जिला अलवर (राज0)

--- अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136

भू0राजस्व अधि0

: निर्णय :

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज0भू0अधि0 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी प्रार्थीगण के दादा एवं श्वसुर स्व0 श्री रामनाथ पुत्र श्री राधाकिशन, जाति गुर्जर के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी हाल खसरा नंबर 47 रकबा 10 ऐयर, 56 रकबा 05 ऐयर, 58 रकबा 05 ऐयर, 60 रकबा 01 ऐयर, 351 रकबा 47 ऐयर, 386 रकबा 05 ऐयर, 399 रकबा 91 ऐयर, 408 रकबा 14 ऐयर किता 08 कुल रकबा 1.78 है, जो साबिक खसरा नंबर 12, 128, 133, 138 से बने हैं, ग्राम श्योदानपुरा में साबिक बन्दोबस्त संवत 2020 में रामनाथ पुत्र राधाकिशन गुर्जर के नाम का अंकन चला आ रहा है, प्रार्थीगण के दादा एवं श्वसुर श्री रामनाथ का स्वर्गवास होने के बाद उनकी विरासत उनकी विधवा मु0 नारायणी स्त्री रामनाथ गुर्जर के नाम स्वीकार हुई, जिसका अंकन जमाबन्दी संवत 2034 में खाता संख्या 12/32 पर सही तरीक पर आया है। मु0 नारायणी स्त्री रामनाथ के स्वर्गवास के बाद उसकी विरासत का नामान्तरण संख्या 39 कन्नी, रोशन, भज्जू, हजारी, किशौरी पि0 रामनाथ समान भाग खातेदार के नाम स्वीकार हुआ, जिसका अंकन तत्कालीन जमाबन्दी संवत 2038 के खाता सं0 24 में मिट्ट, कन्नी, रोशन, भज्जू, हजारी, किशौरी पि0 रामनाथ गुर्जर सा0 उमरैण समान भाग खातेदारान का अंकन सही आ गया। इसके बाद बनी जमाबन्दी संवत 2047 से 2050 में खाता संख्या 23 में मिट्ट, कन्नी, रोशन, भज्जू, हजारी, किशौरी पिव रामनाथ गुर्जर खातेदार का सही अंकन आया है। यह कि उसके बाद हाल बन्दोबस्त संवत 2051 में घोषित हुआ, जिसमें खतौनी बन्दोबस्त संवत 2051 बनी तो बन्दोबस्त कर्मचारियों द्वारा खाता संख्या 31 में कन्नी, रोशन, भज्जू, हजारी, किशौरी पि0 रामसहाय कौम गुर्जर सा0 उमरैण बहिस्सा बराबर खातेदार का अंकन कर दिया गया, जिसमें मिट्ट, कन्नी, रोशन, भज्जू, हजारी, किशौरी तो सही अंकन कर दिया लेकिन सहबन से अथवा गलती से इनके पिताजी का नाम 'रामनाथ' के बजाय 'रामसहाय' लिख दिया तथा उसके आगे 'कौम गूजर सा0 उमरैण हि0ब0 खातेदार' का अंकन सही किया गया है। यानि प्रार्थीगण के दादा एवं श्वसुर का नाम 'रामनाथ' के बजाय 'रामसहाय' गलत प्रकार से अंकित किया गया है। बन्दोबस्त संवत 2051 के बाद बनी जमाबन्दीयों में एवं वर्तमान जमाबन्दी संवत 2071 से 2074 में भी प्रार्थीगण के पिता एवं पति हजारी पुत्र रामनाथ के बजाय 'हजारी पुत्र रामसहाय' हिस्सा 1/6 जाति गूजर सा0 उमरैण खातेदार अंकन किया गया है, जिसमें हजारी तो सही अंकन किया गया है लेकिन उसके पिता का नाम 'रामनाथ' के बजाय 'रामसहाय' का अंकन गलत किया गया है। बन्दोबस्त कर्मचारियान एवं पटवारी हल्का द्वारा प्रार्थीगण के दादा एवं श्वसुर का नाम 'रामनाथ' के बजाय 'रामसहाय' साबिक जमाबन्दी संवत 2020, 2034, 2038, 2047 से 2050 में प्रार्थीगण के दादा एवं श्वसुर 'रामनाथ' दर्ज

**उपखण्ड अधिकारी**  
अलवर